सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निगरानी रखने के लिए सतकर्ता समितियां

2287. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलायी जा रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निगरानी रखने के लिए सतकर्ता समितियां गठित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन सतकर्ता समितियों ने अब तक क्या कार्य किये हैं?

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को यह सलाह दी है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रभावी परिवीक्षा हेतु उचित दर दुकान/ग्राम स्तर पर निगरानी/परामर्शदात्री समितियां गठित करें। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से यह अनुरोध भी किया गया था कि वे ऐसी समितियां विभिन्न स्तरों, अर्थात् राज्य, जिला, ब्लाक, ग्राम और उचित दर दुकान के स्तर पर गठित करें। उनसे इन समितियों में महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, प्रमुख नागरिकों, उपभोक्ताओं तथा स्वैच्छिक संगठनों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का अनुरोध किया गया था। अधिकतर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने सूचित किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की आपूर्ति और उपलब्धता की परिवीक्षा करने के लिए विभिन्न स्तरों पर ऐसी समितियों का गठन कर लिया गया है और वे कार्य कर रही हैं।

जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ छापे

2288. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन कुल कितने छापे मारे गये हैं और राज्यवार उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस संबंध में राज्यों के नागरिक पूर्ति मंत्रियों को लिखे गये पत्रों के संदर्भ में राज्य सरकारों द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जमाखोरी और कालाबाजारी का निवारण करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कितनी शिकायतें मिली हैं ;

(घ) उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) जमाखोरी और कालाबाजारी में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों को क्या सजा दी जाती है और पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार ऐसे कितने व्यक्तियों को सजा दी गई है?

नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मारे गए छापों तथा वर्ष 1988, 1989 तथा 1990 के दौरान खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत जांचे गए तथा अपमिश्रित पाए गए खाद्य नमूनों की संख्या दर्शाने वाले आंकड़े क्रमशः विवरण I तथा II पर दिए गए हैं। **(नीचे देखिए)**

(ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे जोरी और अन्य

कदाचारों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा ऐसे अन्य कानूनों के तहत कार्रवाई में तेजी लायें। चालू वर्ष 1992 के दौरान

(30-6-92 तक प्राप्त सूचना के अनुसार) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई कार्रवाई निम्नवत है :—

मारे गये छापों की संख्या	52,503
गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	1,999
उन व्यक्तियों की संख्या जिन पर मुकदमा चलाया गया . . .	2,296
दोषी पाये गये व्यक्तियों की संख्या	119
जब्त माल का मूल्य	840.48
(लाख रु० में)	

(ग) और (घ) इस मंत्रालय, में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपने कर्मचारियों के विरुद्ध की गई अनुशासनिक अथवा अन्य कार्रवाई से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी आदेशों का उल्लंघन करने के अपराधी पाए गए व्यक्ति उक्त अधिनियम के तहत निर्धारित दण्ड जिसमें आज्ञापक कारावास की शर्त है, के भागी होते हैं। वर्ष 1989–90 तथा 1991 के दौरान उक्त अधिनियम के तहत दोषी पाए गए व्यक्तियों की संख्या निम्नवत है:–

वर्ष	दोषी पाये गये व्यक्तियों की संख्या
1989	680
1990	603
1991	291

विवरण–I

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वर्ष 1989, 1990 और 1991 के दौरान *आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत मारे गए छापे।*

	निम्नलिखित वर्ष में मारे गए छापों की संख्या		
	1989	1990	1991
1. आन्ध्र प्रदेश . . .	7150	9948	11221
2. असम	2164	1956	3147

		1989	1990	1991
3.	अरुणाचल प्रदेश	29	16	1
4.	बिहार	—	506	276
5.	गुजरात	4260	5461	6977
6.	गोवा	509	43	45
7.	हरियाणा	188	127	754
8.	हिमाचल प्रदेश	13694	2508	28645
9.	जम्मू तथा कश्मीर	217	22	103
10.	कर्नाटक	4578	3433	4584
11.	केरल	1125	582	14357
12.	मध्य प्रदेश	3947	4224	3903
13.	महाराष्ट्र	439	502	18296
14.	मणिपुर	—	15	73
15.	मेघालय	1302	332	413
16.	मिजोरम	34	87	322
17.	नागालैण्ड	शून्य	शून्य	शून्य
18.	उड़ीसा	408	7078	2624
19.	पंजाब	10418	13902	27661
20.	राजस्थान	948	1798	1117
21.	सिक्किम	4	3	11
22.	तमिलनाडु	6773	5479	12172
23.	त्रिपुरा	229	369	218
24.	उत्तर प्रदेश	44290	67052	19579
25.	पश्चिमी बंगाल	2395	1598	2656
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	4403	5694	4100
27.	चंडीगढ़	20	11	78
28.	दादरा व नगर हवेली	शून्य	शून्य	4
29.	दिल्ली	1976	595	2075
30.	दमन व दीव	शून्य	51	39
31.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य
32.	पांडिचेरी	899	610	581
	योग :	112399	134002	166049

विवरण-II

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों के तहत देश में वर्ष 1988, 1989 और 1990 के दौरान जांच किए खाद्य नमूनों तथा अपमिश्रित पाए गए नमूनों की राज्यवार संख्या।

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1988		1989		1990	
		जांच किए गए नमूनों की सं०	अपमिश्रित पाए गए नमूनों की सं०	जांच किए गए नमूनों की सं०	अपमिश्रित पाए गए नमूनों की सं०	जांच किए गए नमूनों की सं०	अपमिश्रित पाए गए नमूनों की सं०
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	9191	776	8639	577	8928	813
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	22	12	9	1
3.	असम	2178	284	2069	320	1856	249
4.	बिहार	2067	470	2569	415	2254	441
5.	गोवा	313	36	392	32	472	21
6.	गुजरात	10701	880	11015	669	9975	655
7.	हरियाणा	4552	681	3316	435	4329	589
8.	हिमाचल प्रदेश	1159	282	1578	325	1748	278
9.	जम्मू व कश्मीर	2351	589	763	73	759	84
10.	कर्नाटक	3260	354	3081	181	1902	111
11.	केरल	6754	180	12070	321	10417	196
12.	मध्य प्रदेश	6821	1408	6130	1244	6105	1293
13.	महाराष्ट्र	20664	1294	20883	913	21860	895
14.	मणिपुर	46	6	23	5	16	3
15.	मेघालय	142	37	138	15	121	18
16.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	नागालैण्ड	110	शून्य	165	39	101	18
18.	उड़ीसा	1558	562	1336	373	1237	361
19.	पंजाब	3301	501	3598	345	4221	440
20.	राजस्थान	3585	1070	3454	1038	1883	480
21.	सिक्किम	6	3	33	10	35	8
22.	तमिलनाडु	19298	1867	18937	1488	18303	1266

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	त्रिपुरा	266	22	126	5	398	34
24.	उत्तर प्रदेश	24745	3085	17382	2016	18344	2368
25.	पश्चिम बंगाल	2260	390	1820	267	1721	275
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	118	7	34	2	53	4
27.	चंडीगढ़	520	103	513	71	269	40
28.	दादरा व नागर हवेली	42	3	38	1	24	2
29.	दमण व दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	1
30.	दिल्ली	1542	312	1564	246	499	79
31.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	—	—
32.	पाण्डिचेरी	1740	163	911	111	793	101
	योग :	130390	15365	122599	11549	118580	11124

वर्ष 1991 के लिए आकड़े उपलब्ध नहीं है।

Allocation of imported edible oil to Gujarat

2289. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government of Gujarat have demanded the Centre for allocation of imported edible oil;

(b) if so, what is the monthly demand and allocation to the State for oil during the year 1991-92; and

(c) whether Government of India intend to import R.B.D. Palmolein oil during the 1991-92 oil year?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI KAMALUDDIN AHMED): (a) Yes, Sir.

(b) The Government of Gujarat has placed its demand for allocation of edible oil at the rate of 8000 MTs per month. During the oil year 1991-92, allocation has been made to Gujarat for the months of November, 91 January, 92, February, 92, April, 92 and July, 92 (ad-hoc) only at the rate of 1500 MTs each month.

(c) During the oil year 1991-92, a quantity of 0.95 lakh MTs of RBD palmolein has already been imported till 30th June, 1992. The Govt. of India has decided to import some more quantity of oil to meet the PDS demand.

Quota of edible oil for Maharashtra

2290. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the Quota of edible oil fixed for 1992-93, for Maharashtra to be distributed through the Public Distribution System;

(b) how much has been released till date; and

(c) what was the demand made by Maharashtra?